कार्यालय अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी

— आम निलामी सूचना—

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अधीन दर्ज उत्पाद वादों में समाहर्ता, मधुबनी के न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में मधुबनी सीमा के अन्तर्गत राज्यसात वाहनों की बिक्री आम नीलामी के माध्यम से की जानी है। इस निमित जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–627/उ0, दिनांक 20.06.2018 द्वारा अधोलिखित वाहनों की आम निलामी दिनांक 25/06/19 को **बेनीपट्टी थाना** में 11:00 बजे पूर्वा0 से की जायेगी।

क्र0 सं0	उत्पाद अधिहरण वाद संख्या	राज्यसात वाहन का प्रकार	राज्यसात वाहन का निबंधन संख्या	निर्धारित न्यूनतम मूल्य	अग्रधन की राशि (निर्धारित न्यूनतम मूल्य का 10 प्रतिशत)
1	2	3	4	6	7
1	556/16-17	टेम्पू	BR07PA-3720	90000.00	9000.00
2	613/16-17	मोटर साईकिल	BR30H-6874	15000.00	1500.00
3	608/16-17	अल्टो भान	BR07S-6290	155000.00	15500.00
4	611/16-17	मोटर साईकिल	BR07V-6260	20000.00	2000.00

नीलामी की शर्त्ते :–

1. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को अग्रधन के रूप में संबंधित वाहन के न्यूनतम निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिशत (कंडिका–7) के अनुसार नगद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में समाहर्त्ता मधुबनी के नाम से नीलामी से पूर्व जमा करना होगा। आम नीलामी प्रक्रिया में असफल व्यक्तियों को नीलामी की समाप्ति के पश्चात अग्रधन के रूप में जमा राशि लौटा दिया जायेगा तथा सफल व्यक्ति का अग्रधन की राशि को नीलामी की तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी।
2. नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले क्रेता के साथ उसी स्थिति में नीलामी अंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी, जब वह राशि न्यूनतम निर्धारित राशि के समतुल्य या अधिक हो।
3. सफल बोली दाता को उच्चतम बोली की राशि का 50 प्रतिशत नीलामी स्थल पर ही नगद/डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। तथा शेष राशि नीलामी के सात दिनों के अंदर जमा करना होगा। इस अवधि में शेष राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में बोली दाता के द्वारा पूर्व में जमा की गयी 50 फीसदी राशि को जप्त करते हुए वाहन की नये सिरे से नीलामी की जायेगी।
4. सफल बोली दाता द्वारा उच्चतम बोली राशि का 50 फीसदी तत्काल जमा नहीं किये जाने की स्थिति में बोली दाता के द्वारा पूर्व में जमा की गई अग्रधन राशि को जप्त करते हुए पुनः वाहन की नये सिरे से नीलामी की जायेगी तथा बोली दाता को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा।
5. नीलामी में बोली दाता पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ स्वयं उपस्थित रहेंगे।
6. वाहन जहाँ है और जिस स्थिति में है उसी स्थिति और स्थान से उक्त वाहन विमुक्त किया जायेगा।

7. नीलामी समिति सफल क्रेता के नाम से वाहन के निबंधन कराने के निमित नीलामी प्रमाण–पत्र/विक्रय पत्र निर्गत करेगी। नीलाम किये गये वाहन को अपने नाम से निबंधित कराने की जिम्मेवारी संबंधित क्रेता की होगी।
8. नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी करों का भूगतान करना होगा।
9. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक क्रेता नीलामी की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को राज्यसात वाहनों को अभिरक्षा स्थल पर जा कर देख सकते है। अधिक जानकारी हेतु बेनीपट्टी थाना से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
10. बोली दाता स्वयं वाहन को अवलोकन कर बोली लगायेंगे। बाद में वाहन की स्थिति के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
11. वाहन नीलामी समिति के पास नीलामी की प्रक्रिया को किसी भी वक्त रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12. किसी भी प्रकार का विधिक मामला स्थानीय न्यायालय क्षेत्र के अधीन लागू होगा।
13. अधिक जानकारी के लिये मधुबनी जिला के वेबसाईट **www.madhubani.bih.nic.in** पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सर्व साधारण को सूचनार्थ।

06/06/19
अधीक्षक उत्पाद,
मधुबनी।

ज्ञापांक 569 /उ0, दिनांक 06.06.19

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी, मधुबनी/पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधुबनी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुबनी/सभी अंचलाधिकारी, मधुबनी/जिला परिहवन पदाधिकारी, मधुबनी/वाणिज्य–कर उपायुक्त, मधुबनी/सभी जिला अवर निबंधक, मधुबनी/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् मधुबनी/कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, मधुबनी/कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, मधुबनी एवं अन्य सभी पदाधिकारीगण को सूचनार्थ एवं वृहद् प्रचार–प्रसारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि उक्त सूचना को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः जिला सूचना जन–सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर समाहर्त्ता, मधुबनी/अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी एवं अन्य सभी जिला उत्पाद वाहन नीलामी कमिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/06/19
अधीक्षक उत्पाद,
मधुबनी।